09.05.18 अधिवक्ता अपी० व राजकीय अधिवक्ता उप०। मूल प्रकरण का निर्णय हो चुका है। इसलिए प्र० पत्र स्थगन विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्र० पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। मूल प्रकरण में संलग्न रहे। खुले न्यायालय सुनाया गया।

जिला कलेक्टर
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official